8.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। प्रार्थी वकील ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया, कि मौजा भड़कुआ पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 218/138 रकबा 3.21 हैक्टयर भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी आई हुई है। जिसमें प्रार्थी संख्या 1 का 1/18 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 1/36 हिस्सा पुश्तैनी मालिकाना हक हकूक व कब्जे काश्त का आया हुआ है। जिसका विधिवत बंटवाड़ा प्रार्थीगण द्वारा बंटवाड़ा भी नही किया गया है द्वितीय सेटलेमेंट अधिकारियो ने बिना जांच पड़ताल किये हमें सुनवाई का अवसर दिये बिना गैर कानूनीय रूप से भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। हम प्रार्थीगण के दादा/पिता ने वादग्रस्त भूमि को किसी प्रकार के हस्तान्तरण नही की। उसके बावजूद भी द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारियो ने हम प्रार्थीगण के दादा फगलू का नाम दर्ज नही कर हमें हमारे हकूको से वंचित कर हमारे हको पर कुठारघात किया गया है। जो ऐसा करने का उन्हें कोई कानूनी अधिकारी नही था। ऐसा इन्द्राज अपास्नीय योग्य है। संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी अविभाजित भूमि में प्रार्थीगण का कण–कण में हक हिस्सा निहित है, अप्रार्थीगण के नाम अवैध व गलत हिस्सा दर्ज होने से वादग्रस्त संयुक्त अविभाजित भूमि को अप्रार्थीगण बैचान,रहन,तर्क करना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण के हक खतरे में पड़ गये है। वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाये रखे। इस आश्य की मूल वाद ताफैसला तक अस्थाई निशेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पांबद फरमावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी हमारे दादा के परिवार का न होने से तथा न ही प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला होने से और न ही प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन हो एवं अपूरणीय क्षति होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आधाहीन गलत तथ्यों के आधार पर होने तथा नाम ही एकमात्र से लाया गया गलत प्रार्थना पत्र पेश करने से खारजि फरमावे।

हमनें वकील उभय पक्ष की पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी सहखातेदारी समंपति होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा भड़कुआ पटवार हल्का हरियाली तहसील सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 40 बीघा 2 बिस्वा जिसके नवीन खेत खसरा नम्बर 136 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 3.24 हैक्टयर, खसरा नम्बर 218/138 रकबा 3.21 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:53:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner